प्राक्कथन

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को विद्युत उत्पादन करने वाले स्टेशनों से लोड केंद्रों तक विद्युत के निर्विघ्न प्रवाह के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों की एक दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करने हेतु विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अधिदिष्ट किया गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको), पीजीसीआईएल की एक पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्रों के माध्यम से विद्युत के अनुसूचन एवं प्रेषण सहित विद्युत प्रणाली का समेकित संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्षस्थ संस्था है। ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता विद्युत उत्पादकों तथा वितरक के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है और एक दक्ष और प्रभावी ट्रांसमिशन नेटवर्क विद्युत उत्पादन और उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। ट्रांसमिशन नेटवर्क में कमियों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं को चालू करने में देरी से न केवल पीजीसीआईएल को राजस्व की हानि हो सकती है अपितु इससे विद्युत की निकासी में भी संकुलन हो सकता है। इसके विपरीत ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों में असामान्य व्यतिरिक्तता या आवश्यक क्षमता से उच्चतर क्षमता की लाइनों के निर्माण से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों और जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मार्च 2013 तक ट्रांसमिशन नेटवर्क के परिवर्धन की स्थिति के साथ-साथ XI योजना (2007-2012) के दौरान पीजीसीआईएल द्वारा ट्रांसमिशन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा 30 और 31 जुलाई 2012 को प्रमुख ग्रिड बाधाओं को देखते हुए ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड मॉनिटरिंग सहित अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में पोसोको द्वारा ग्रिड प्रबंधन में विद्यमान कमियों, यदि कोई हो, का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पीजीसीआईएल, पोसोको और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षक अपना आभार प्रकट करते हैं।